पटसन क्षेत्र में कामगारों के कल्याण के लिए एनजेबी की योजनाएं

राष्ट्रीय पटसन बोर्ड अधिनियम के अंतर्गत, बोर्ड के चार्टर में पटसन उत्पादक इकाइयों में कामगारों के कल्याण की व्यवस्था करना शामिल है। इसके लिए वस्त्र मंत्रालय पटसन मिलों में कामगारों के कल्याण हेतु प्रासंगिक योजना तैयार करना चाहता है।

इस संबंध में, राष्ट्रीय पटसन बोर्ड मिल क्षेत्र में साफ-सफाई, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा कार्य स्थितियों में सुधार के लिए गैर-योजना निधियों का उपयोग करने का प्रस्ताव करता है।

मान्यता प्राप्त संघों के परामर्श से प्रबंधन द्वारा मिलों के प्रस्ताव तैयार किए जाने चाहिए।

स्वच्छता सुविधाएं-मिल कामगारों और उनके परिवारों के लिए सर्वप्रथम मिल क्वार्टरों में और दूसरे चरण में कार्य क्षेत्रों में स्वास्थ्यवर्धक स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने की योजना है।

- मिल क्वार्टरों और कार्य क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण के लिए मिलों से आवेदन मांगे जाएंगे जिनकी स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से जांच की जाएगी और मूल्यांकन किया जाएगा। स्वच्छता संबंधी सुविधाओं में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए प्रसाधन सुविधाओं, वॉश-बेसिन, सीवेज आदि सहित डिजाइन किए गए स्वच्छता ब्लॉक शामिल होंगे।
- ऐसी प्रत्येक स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण की कुल लागत अधिकतम 60 लाख रुपए के अध्यधीन एनजेबी द्वारा वहन की जाएगी।
- एनजेबी सुलभ इंटरनेशनल अथवा ऐसी दूसरे ख्याति प्राप्त संगठनों विशेष रूप से उन एजेंसियों, जिन्हें टेंडर में भाग लेने से सरकारी व्यवस्था के तहत छूट प्राप्त हो सकती है, के साथ तृतीय पक्ष टाई अप की संभावना को तलाशेगी। इससे निर्माण की प्रक्रिया में गति आएगी।
- संबंधित मिल पहले निर्माण पर व्यय करेगी और तत्पश्चात एनजेबी लेखाओं एवं वाउचर तथा इकाई के वास्तविक सत्यापन के साथ दावे के प्रस्तुत करने के अध्यधीन 60 लाख रुपए अधिकतम की प्रतिपूर्ति के अध्यधीन लागत के 90% की प्रतिपूर्ति करेगी।
- जहां तक संभव है, कामगारों के क्वार्टरों/आवासीय क्षेत्रों में सुविधाएं भुगतान एवं उपयोग आधारित सुविधाएं होनी चाहिए जहां राजस्व उन्हें संभाल रही एजेंसी के लिए रख-रखाव की लागत उपलब्ध कराएगा। मिल कार्य क्षेत्रों में निर्माण की गई सुविधाओं के मामले में संबंधित मिल सुलभ इंटरनेशनल अथवा ऐसी दूसरी एजेंसी, जो भी चयनित की जा सकती है, के साथ वार्षिक रख-रखाव करार करेगी। संबंधित मिल रख-रखाव की लागत वहन करेगी।
- 10 मिलों को 'सब्सिडी दावा आवेदन की पहली प्राप्ति-पहली सेवा' के आधार पर प्रत्येक वर्ष सहायता प्रदान की जाएगी।
- **एनजेबी के गैर-योजना बजट से वार्षिक बजट 400 लाख रुपए है।**
- योजना आरंभ में 5 वर्ष के लिए जारी रहेगी और समीक्षा के पश्चात आगे की अवधि के लिए विस्तार किया जा सकता है।